"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2012—आषाढ़ 5, शक 1934

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-3/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि सेवा, चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से 2 वर्षों की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. भाग-एक के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (4) में तथा भाग दो के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के कॉलम (4) में, शब्द "चतुर्थ श्रेणी" के पश्चात् शब्द "जिला स्तरीय" क्रमशः जोड़ा जाये.

2. अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"टीप— दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्षों की कालावधि के लिये भृत्य/चैनमैन/चौकीदार, हैमरमेन/क्लीनर/हेल्पर के पदों के लिये संभागीय संयुक्त संचालक नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2012

क्रमांक एफ 3-3/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना दिनांक 26-06-12 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

Raipur, the 26th June 2012

NOTIFICATION

No. F 3-3/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Services Class-IV Service Recruitment Rules, 2010. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In column (4) of Serial number 2 of part-I and in column (4) of Serial number 1 and 2 of Part-II, after the words "Class-IV" the words "District Level" shall be added respectively.

2. After Schedule, the following Note shall be added, namely :—
"**Note** :—Divisional Joint Director shall be Appointing Authority for the post of Peon/Chainman/Chowkidar, Hamerman/Cleaner/Helper for a period of two years w.e.f 17-01-2012."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARASNATH RAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.